

मि. सं. 29-24/2022-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  
विस्तार निदेशालय

कृषि विस्तार भवन,  
आई.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा,  
नई दिल्ली-110012  
दिनांक: 29 नवंबर, 2022

सेवा में,

Shri Sourav Daripa  
Flat No. B2, Abhishek Apartment, Palashtala  
PO Junbedia, PS Bankura-722155  
(West Bengal).  
Email : sourav.daripa@gmail.com

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति-विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री 0 सौरव दरिपा, पश्चिम बंगाल, से प्राप्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचना देने से संबंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/22/00089 दिनांक 01.11.2022)

महोदय,

कृपया अपने आर.टी.आई अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमें आर.टी.आई अधिनियम 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना निम्नवत् है :-

मॉगी गई जानकारी	जवाब
Please provide information about the provision of disbursement of remuneration of ATMA Functionaries like ATM/BTM/CP/Accountant-cum-Clerk who are recruited by the Department of Agriculture, Govt. of WB directly, not by outsourcing. Is their any obligation to disburse their remuneration in PFMS from District end or it is mandatory to disburse their remuneration in PFMS under child agency i.e. FIAC account in the scheme-Support to State Extension Programme for Extension Reforms Scheme (popularly known as Agricultural Technology Management Agency)i.e. ATMA Scheme.	In so far as Directorate of Extension's ATMA Scheme is concerned, as per Department of Expenditure's O.M. dated 23 <sup>rd</sup> March, 2021, all transactions in Centrally Sponsored Scheme will be carried out through SNA account in PFMS. It is also to inform you that SNA concept has been implemented in Centrally sponsored Scheme w.e.f. 1 <sup>st</sup> July, 2021.

आपको सूचित करना है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिये यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत् है :-

डा. शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार),  
विस्तार निदेशालय,  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,  
कमरा संख्या 216, कृषि विस्तार भवन,  
आई.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110 012,  
दूरभाष:- 011-25847660 व ई-मेल पता:-shailesh.mishra29@gov.in

अवदीया  
29/11/2022  
(दीपा पांडे)

उप निदेशक (प्रशासन एवं सी.पी.आइ.ओ.)  
दूरभाष:- 011.25846467  
ई-मेल:- deepa.pande65@gov.in

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. अनुभाग अधिकारी ( आर.टी.आई ), आर.टी.आई सैल, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इंचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जवाब को विस्तार निदेशालय की वेबसाइट [www.krishivistar.gov.in](http://www.krishivistar.gov.in) पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।